**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

क्रमांक एफ 27 (44)/ग्राविवि–5/पीएमएवाई/मोनि–1/मीटिंग/2016–17 जयपुर, दिनांक 09 अगस्त 2016

**–:: बैठक एजेण्डा ::–**

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा हेतु दिनांक 10.08.2016 को समस्त परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं योजना प्रभारी जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई है। जिसमें ग्रामीण आवासीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की जावेगी। ग्रामीण आवासीय योजना की प्रगति की समीक्षा निम्न ऐजेण्डा बिन्दु अनुसार की जावेगी।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण योजनान्तर्गत SECC-2011 के आकडों से तैयार वरीयता सूची का ग्राम सभा के अनुमोदन उपरान्त प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के सम्बंध में चर्चा।

2. पीएमएवाई योजनान्तर्गत वरीयता सूची के प्रकाशन/आवास साफ्ट पर अपलोड करने पर चर्चा।

3. गतवर्षो के निर्माणाधीन/अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु जिलेवार/माहवार आवंटित लक्ष्यों की प्रगति पर चर्चा।

4. मैसन प्रशिक्षण आयोजित किये जाने पर चर्चा :– प्रशिक्षण हेतु अकुशल श्रमिकों एवं आवासों का चयन उपरान्त प्रशिक्षण कार्ययोजना पर चर्चा।
5. वर्ष 2016–17 के आवंटित लक्ष्यों के अनुसार आवास स्वीकृत करने हेतु निम्न प्रारूप अनुसार जिले की पंचायत समितिवार तैयार की गई कार्ययोजना पर चर्चा :–

| क्र. सं. | कार्य विवरण | निर्धारित दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | लक्ष्यानुसार 10 आवास पर 1 टैग अधिकारी नियुक्त करना। | 11 जुलाई |
| 2 | भूमिहीन व आवासहीन वरिवारों को नियमानुसार निःशुल्क/रियायती दर पर भू खण्ड (कम से कम 50 वर्गगज) आवंटन करना | 31 अगस्त |
| 3 | चयनित लाभार्थियों का प्रशिक्षण आयोजित कर प्रोटोटाईपों के नक्शें, सामग्री, श्रम, एवं योजना व देय लाभों की जानकारी उपलब्ध कराना। | 12 से 18 जुलाई |
| 4 | टैग अधिकारी चयनित लाभार्थी से सम्पर्क कर स्वीकृति हेतु दस्तावेज एकत्रित कर पंजीयन करना। | 19 से 22 जुलाई |
| 5 | आवाससॉफ्ट पर पंजीयन उपरान्त स्वीकृति जारी कर लाभार्थी को कार्य प्रारम्भ करने हेतु मनरेगा अन्तर्गत मस्टररोल जारी करना। | 22 से 26 जुलाई |
| 6 | लाभार्थियों का द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित कर कार्य प्रारम्भ करने वाले लाभार्थियों को मस्टररोल का FTO व योजनान्तर्गत प्रथम किशत जारी करना। | 16 से 19 अगस्त |
| 7 | 2 पखवाडे की मस्टररोल जारी करने/समझाईश के उपरान्त भी लाभार्थी द्वारा कार्य शुरू नहीं करने पर स्वीकृति निरस्त कर वरीयता अनुसार अन्य लाभार्थी की स्वीकृति जारी करना। | 01 से 05 सितम्बर |

**(के. के. शर्मा)**
**अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविवि)**

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रावि।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू), को वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविप्र), समस्त।
6. योजना प्रभारी/परियोजना अधिकारी (अभि), जिला परिषद समस्त को भेजकर लेख है कि बैठक में समस्त सूचनाओं के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होंवे।

**अधीक्षण अभियन्ता (ग्राविवि)**

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक :– प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015 जयपुर, दिनांक : 08 AUG 2016

**बैठक सूचना**

ग्रामीण विकास विभाग की समस्त योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2016–17 की प्रगति समीक्षा हेतु शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में समस्त परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं योजना प्रभारी, जिला परिषद (ग्राविप्र) की दिनांक 10 अगस्त, 2016 को प्रातः 10:00 बजे से सायः 6:00 बजे तक इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर कमरा नम्बर 202 में बैठक आयोजित की गई है।

बैठक का एजेण्डा कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

| दिनांक | समय | विषय |
|---|---|---|
| 10.08.2016 | प्रातः 10:00 बजे से 11:30 बजे तक | आवास योजना |
| | प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक | गुरू गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना |
| | दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक | डांग/मगरा/मेवात/बीएडीपी |
| | दोपहर 2:30 बजे से 3:00 बजे तक | प्रशासन/आईडब्ल्यूएमएस (जिओटैगिंग एवं निरीक्षण के संबंध में प्रशिक्षण) |
| | दोपहर 3:00 बजे से सायः 4:00 बजे तक | वित्तीय सलाहकार |
| | सायः 4:00 बजे से सायः 5:00 बजे तक | एमएलएएलैड/एमपीलेड/स्व–विवेक जिला विकास योजना |

भवदीय

5/8/16
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भेजकर निवेदन है कि समस्त योजना प्रभारी सुसंगत सूचनाओं के साथ बैठक में भाग लेवें :–

1 संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास।
2 वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास।
3 परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, SAP-I/SAP-II
4 अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई, ग्रामीण विकास विभाग।
5 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को भेजकर निवेदन है कि समस्त योजना प्रभारी एवं परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं जिला परिषद (ग्राविप्र) को एवं **साथ ही IWMS पर कार्य करने वाले एक कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी उक्त दिनांक 10.08.2016 को बैठक में भाग लेने हेतु पाबंद करें।**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ को प्रेषित है :–

1 निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
3 अति. निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त दिनांक 10.08.2016 को लगभग 100 कार्मिकों को बैठने एवं दोपहर में भोजन की व्यवस्था करावें।
4 प्रधान प्रणाली विश्लेषण, राष्ट्रीय सूचना एवं प्रोद्योगिक, 8318, उत्तर पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।
5 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ करने हेतु।

5/8/16
परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)